



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

ज्ञापन क्र.

दिनांक

प्रति,

सुश्री जी.व्ही.रश्मि,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, भोपाल।

विषय:— दिनांक 11/11/2009 को जिला पंचायत भोपाल की साधारण सभा/सामान्य प्रशासन समिति की बैठक के संबंध में।

संदर्भ:— आपका पत्र क्र. 4820/जि.पं./समिति/2009 दिनांक 11/11/2009।

संदर्भित पत्र के परितेक्ष में निर्देशानुसार अवगत कराया जाता है कि जिला पंचायत की सामान्य सभा/सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन, जिला पंचायत के सामान्य कार्य-कलाप की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में उक्त बैठक के आयोजन के लिए आप स्वतंत्र हैं, परंतु इस बात का सख्ती से ध्यान रखा जाए कि बैठक में ऐसा कोई भी निर्णय न लिया जाए जिसका प्रभाव नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं पर पड़ता हो। साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि इस आयोजन के दौरान आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

(अनुपम राजन)

सचिव,

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ-64-02/09/1206 भोपाल, दिनांक 13/11/2009

प्रतिलिपि: 1. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
(जिला- विदिशा, मंदसौर को छोड़कर)
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचनार्थ अग्रेषित।

(अनुपम राजन)
सचिव,

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग